

# न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट, कोटा

पीठासीन अधिकारी : पीयूष समारिया, आई0ए0एस0

प्रकरण संख्या - 4/2026

(Bank Case)

GCMS No. 2026/7

आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड ब्रांच ऑफिस— तृतीय तल, जे.एस.ई.एल. बिल्डिंग, मालवीय नगर, जयपुर, राजस्थान-302001 में स्थित व कार्यरत है। जय्ये प्राधिकृत अधिकारी श्री राजेन्द्र शर्मा।

— प्रार्थी /सिक्वोर क्रेडिटर

## बनाम

1. देवकीनन्दन मालव पुत्र श्री बद्रीलाल मालव —(ऋणी / बंधककर्ता )  
पता— ई-1-24, पर्यावरण इण्डस्ट्रीज एरिया, सकतपुरा, कोटा (राज0)—324008  
अन्य पता— प्लॉट नं0 1415ए, श्री राम कृष्ण पुरम योजना, कोटा-324010  
अन्य पता— प्लॉट नं0 1415ए, आर.के. पुरम, कोटा
2. जगदीश प्रसाद मालव —(सह-ऋणी )  
पता— ई-1-24, पर्यावरण इण्डस्ट्रीज एरिया, सकतपुरा, कोटा (राज0)—324008  
अन्य पता— प्लॉट नं0 1415ए, श्री राम कृष्ण पुरम योजना, कोटा-324010  
अन्य पता— प्लॉट नं0 1415ए, आर.के. पुरम, कोटा
3. मैसर्स मालव ब्रिक्स इण्डस्ट्रीज —(सह-ऋणी )  
पता— प्लॉट नं0 1415ए, श्री राम कृष्ण पुरम योजना, कोटा-324010  
अन्य पता— प्लॉट नं0 1415ए, आर.के. पुरम, कोटा

— अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14 वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूमि हित प्रवर्तन अधिनियम 2002

उपस्थित:—

श्री कुलदीप सिंह जादौन, अभिभाषक प्रार्थी

## आदेश

दिनांक: 18.02.2026


संक्षेप मे प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड जिसका जिसका ब्रांच ऑफिस— तृतीय तल, जे.एस.ई.एल. बिल्डिंग, मालवीय नगर, जयपुर, राजस्थान-302001 में स्थित व कार्यरत है। अप्रार्थीगण ने प्रार्थी वित्तीय संस्था से दिनांक 15.06.2016 को खाता संख्या LBKOT00002235813 में रूपये 23,00,000/-रूपये (अक्षरे: तेईस लाख रूपये मात्र) एवं खाता संख्या LBKOT00002950623 में रूपये 13,50,000/- रूपये (अक्षरे: तेरह लाख पचास हजार रूपये मात्र) इस प्रकार कुल ऋण 36,50,000/- रूपये (अक्षरे: छत्तीस लाख पचास हजार रूपये मात्र) का ऋण लिया था। अप्रार्थीगण ने ऋण व उसके मय ब्याज के पुनर्भुगतान हेतु सिक्वोरिटी के रूप मे देवकीनन्दन मालव पुत्र श्री बद्रीलाल मालव की एक आवासीय सम्पत्ति प्लॉट नं0 1415 ए, श्री राम कृष्ण पुरम योजना, कोटा-324010 में स्थित है, जिसका कुल क्षेत्रफल 1250 वर्ग फीट है। जिसकी चर्तु:सीमाए पूरब में— प्लॉट नं0 1516, पश्चिम में— प्लॉट नं0 1514, उत्तर में— सडक, दक्षिण में— अन्य आवास, को प्रार्थी वित्तीय संस्था के पक्ष में गिरवीकृत किया गया था। अप्रार्थी ने नियमित रूप से प्रार्थी का उक्त ऋण का भुगतान नहीं कर सका और ऋण के भुगतान में व्यक्तिक्रम व डिफाल्ट होने पर प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा अप्रार्थीगण के खाते को दिनांक 03.06.2025 को एन.पी.ए. कर दिया गया। अप्रार्थी द्वारा उसके खातों मे 16,10,841/- (अक्षरे सोलह लाख, दस हजार आठ सौ इकतालीस रूपये मात्र) बकाया रकम दिनांक 28.07.2025 तक शेष देय है व आगे की बकाया राशि मय ब्याज व खर्चे पूर्णभुगतान करने तक के लिए अप्रार्थी जिम्मेदार है। प्रार्थी वित्तीय संस्था ने उक्त एक्ट की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थी को दिनांक 28.07.2025 को रजिस्टर्ड डाक से नोटिस भी अप्रार्थीगण को प्रेषित किया गया। नोटिस प्राप्ति के बावजूद बन्धकर्ता ने ऋण राशि मय ब्याज चुकाने मे चूक की है। ऋणी द्वारा बंधक सम्पत्ति का कब्जा भी

प्रार्थी वित्तीय संस्था को नही संभलाया है। प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 की धारा 14 के तहत उपरोक्त खाते में देय राशि के पुर्नभुगतान हेतु रहनशुदा सम्पत्ति का कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था को जरिये पुलिस इमदाद संभलाने के लिये यह प्रार्थना पत्र जरिये अभिभाषक प्रस्तुत किया गया।

अभिभाषक प्रार्थी को सुना गया। अभिभाषक प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए प्रकट किया कि अप्रार्थीगणों ने उनके खाते में देय ऋण राशि मय व्याज की राशि के भुगतान हेतु उक्त अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत दिनांक 28.07.2025 को रजिस्टर्ड डाक से नोटिस भी अप्रार्थीगण को प्रेषित किया गया। नोटिस प्राप्ति के बावजूद बन्धकर्ता ने ऋण राशि मय व्याज चुकाने में चूक की है। अतः उपरोक्त वर्णित सम्पत्ति का कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था को या उसके द्वारा नियुक्त व्यक्ति को दिलवाने का आदेश फरमाते हुए प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जावे।

हमने बहस पर मनन किया एवं पत्रावली में उपलब्ध दरस्तावेजात का अवलोकन किया। प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 13(2) के दिनांक 28.07.2025 को रजिस्टर्ड डाक से नोटिस भी अप्रार्थीगण को प्रेषित किया गया। नोटिस प्राप्ति के बावजूद बन्धकर्ता ने ऋण राशि मय व्याज चुकाने में चूक की है। अतः प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है ऋणी/बंधकर्ता देवकीनन्दन मालव पुत्र श्री बद्रीलाल मालव की एक आवासीय सम्पत्ति प्लॉट नं० 1415 ए, श्री राम कृष्ण पुरम योजना, कोटा-324010 में स्थित है, जिसका कुल क्षेत्रफल 1250 वर्ग फीट है। जिसकी चतुःसीमाएं पूरब में- प्लॉट नं० 1516, पश्चिम में- प्लॉट नं० 1514, उत्तर में- सडक, दक्षिण में- अन्य आवास, का भौतिक कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा जरिये संबंधित पुलिस थाना इमदाद प्राप्त किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। उक्त सम्पत्ति का कब्जा दिलाने हेतु पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों के वेतन भत्ता व यात्रा व्यय आदि का भुगतान नियमों में देय है तो संबंधित वित्तीय संस्था द्वारा वहन किया जायेगा। आदेश की प्रति प्रार्थी वित्तीय संस्था, पुलिस अधीक्षक (शहर) कोटा को हस्व कायदा जारी हो। इस आदेश की क्रियान्विति आदेश जारी होने की दिनांक से एक माह बाद की जावे।  
आदेश आज दिनांक 18.02.2026 को सुनाया गया।



  
(पीयूष समारिया)  
जिला मजिस्ट्रेट कोटा

**जिला मजिस्ट्रेट**  
कोटा (राज०)